अजमेर पुलिस ने किए 169 गुम हुए मोबाइल बरामद

बरामद किए गए मोबाइल मालिकों की पहचान कर गुमशुदगी के आधार पर सुपुर्द किए

अजमेर, (कासं)। अजमेर पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत 169 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 57 लाख रुपए है। साइबर सेल की ओर से पीड़ितों से संपर्क कर मोबाइल सुपुर्द किए।

गुरुवार को इसकी जानकारी अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने दी। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि लंबे समय से गुम हुए मोबाइल की संख्या को देखते हुए जिले में प्राप्त शिकायतों के आधार पर एडिशनल एसपी सिटी दुर्ग सिंह राजपुरोहित और ग्रामीण एडिशनल एसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन एंटी वायरस का अभियान चलाया गया।

एसपी बिश्नोई ने बताया कि अभियान के तहत साइबर सेल को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साइबर सेल की ओर से थाना स्तर पर टीम गठित पर कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 169 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 57 लाख रुपए है। एसपी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बरामद किए गए मोबाइल मालिकों की पहचान कर गुमशुदगी के आधार पर सुपुर्द किए गये।

पुलिस अधीक्षक विश्नोई ने बताया कि मोबाइल पोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों की मदद के लिए विशेष टीम का गठन किया था। इन टीमों ने दिन-रात मेहनत करके यह सफलता हासिल की है। मोबाइल फोन मिलने पर उनके मालिकों ने पुलिस के आभार जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ फोन वापस मिल सकेगा। बिश्रोई ने महाराष्ट्र निवासी रफीक, गगवाना अजमेर निवासी अमन और खोड़ा गणेश निवासी कविता को खोया मोबाइल लौटाया।

खुलासा करते हुए एसपी विश्नोई तथा बरामद किए गए मोबाइल फोन।

- **अजमेर पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत 169 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 57 लाख रुपए है। साइबर सेल की ओर से पीड़ितों से संपर्क कर मोबाइल सुपुर्द किए**

तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

आसींद, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय आसींद मे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष राहुल साहू के सानिध्य में छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में बताया कि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने फीस जमा करवाई है । परंतु केवल 200 विद्यार्थियों का ही प्रवेश हुआ है इसमें भी होनहार छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ है वही प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाई जाए जिससे कि विद्यार्थियों को सहूलियत मिल सके आसींद से अधिकतम विद्यार्थी एनसीसी के लिए 70 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जाते हैं लेकिन वहां प्रवेश नहीं हो पता है इसलिए आसींद राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी को इसी सत्र से प्रारंभ किया जाए, वहीं बताया कि राजकीय महाविद्यालय की चार दिवारी का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाए निम्न मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों के द्वारा राजकीय महाविद्यालय में आंदोलन किया जाएगा इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

ट्रक लूट के दो आरोपी गिरफ्तार

ब्यावर, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वृत्ताधिकारी राजेश कसाना के निकट सुपरविजन में कार्यवाही करते हुए सदर थानाधिकारी व जिला स्पेशल टीम ने वर्ष 2023 में टोल के पास हुई ट्रेलर लूट की वारदात में वांछित फरार दो आरोपियों हिरनोदा पुलिस थाना फुलेरा निवासी कैलाश जाट पुत्र बोदुराम उम्र 28 साल कैलाश चंद जाट पुत्र अर्जुन लाल उम्र 27 साल निवासी बागडो का वास कालख पुलिस थान जोबनेर निवासी कैलाश चंद जाट पुत्र अर्जुन लाल उम्र 27 सालको गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है की मार्च 2023 में ट्रेलर में कन्टेनर भर कर ले जाते समय रात्रि 10 बजे के आसपास पीपलाज टोल पार कर जब चालक रूका तो एक कार तथा केम्पर में सवार कुछ व्यक्तियों ने उसको जबदस्ती कार में पटक दिया व ट्रेलर को स्टार्ट करके अजमेर की तरफ ले गये। आरोपियों ने ट्रेलर पर लगे फास्ट टैग व जीपीएस को तोड कर रोड पर फेंक दिया तथा ड्राईवर को कार में कच्चे पक्के रास्तों से ले गये। रिपोर्ट पर पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों और ट्रेलर की तलाश प्रारम्भ की।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अंजू कुमारी चौहान पत्नी नवनीत कटारे निवासी प्लाट नं 3 ओषध विहार, पंचायत ट्रेनिंग सेंटर के पास अजमेर, अजमेर कि ग्राम पंचायत घुघरा के खसरा नम्बर 283 में क्षेत्रफल 197.2 वर्गगज के भूखंड कि पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त भूखण्ड की भूमि आवेदक ने श्रीमति अफरोज पत्नी सरफराज मोहम्मद खान से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02/12/2020 से प्राप्त की है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धधारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर

Website:-www.rajasthan.gov.in/ada Email:- ajmerada@gmail.com

Tel. No. :- 0145-2627748-2627749

क्रमांक अविप्रा/प.2/तकनीकी/2024-25/9664802 दिनांक : 08.08.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 09/2024-25

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यो की अनुमानित लागत राशि 555.60 लाख की ई-निविदा (क्रम संख्या 01) दिनांक 03.09.2024 सांय 06.00 बजे तक एवं (क्रम संख्या 02) दिनांक 27.08.2024 को सांय 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट (http:://eproc.rajasthan.gov.in) एवं (http:://sppp.raj.nic.in) http:://www.urban.rajasthan.gov.in/ada पर देखा जा सकता है।

UBN AJD2425WSOB00080-81

राज.संवाद/सी/24/3573 अधिशाषी अभियन्ता

ब्लैकमेल कांड के छह आरोपियों पर फैसला अब 20 अगस्त को

अजमेर, (कासं)। देश भर में बहुचर्चित अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपियों पर अजमेर की पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट अदालत संख्या दो ने फैसला 20 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया है। आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गनी , और सैयद जमीर हुसैन पर पॉक्सो कोर्ट के द्वारा फैसला गुरुवार को फैसला सुनाया जाना सुनिश्चित था, लेकिन आरोपियों में से एक इकबाल भाटी के अदालत में हाजिर नहीं हो पाने के कारण न्यायाधीश ने निर्णय 20 अगस्त को सुनाए जाने की तारीख दी।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 104 गवाह और 245 दस्तावेज पेश किए गए हैं। पूर्व में इस मामले में 9 आरोपियों को अजमेर सेशन कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना चुकी है, जबकि एक आरोपी आत्महत्या कर चुका है। एक आरोपी अलमास महाराज फरार है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है।

सहायक निदेशक अभियोजन वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लंबित 6 आरोपियों आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गनी, और सैयद जमीर हुसैन के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। गुरुवार को कोर्ट में फैसला आना था लेकिन आरोपी इकबाल भाटी के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह कोर्ट में नहीं पहुंचा था। जिसके कारण न्यायाधीश के द्वारा मामले में 20 अगस्त को फैसला सुनाने की तारीख दी है। सभी 6 आरोपियों पर 2002 से केस चला था। यह इससे पहले फरार चल रहे थे। इन सभी 6 आरोपियों पर चार्जशीट 23 जून 2001 को पेश हुई थी।

गौरतलब है कि वर्ष 1992 में इस प्रकरण के उजागर होने के बाद उपरोक्त छह आरोपियों के साथ जिन नौ आरोपियों को चिन्हित किया था उनमें फारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती, परवेज अंसारी, पुत्तन इलाहाबादी, इशरत उर्फ लल्ली, महेश लुधानी, कैलाश सोनी, हरीश तोलानी व शम्सु भिश्ती उर्फ मेराडोना शामिल हैं। सभी को अजमेर की गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया था इन्हें सेशन न्यायाधीश ने दंडित किया था।

हर घर तिरंगा महोत्सव का आयोजन 10 से

अजमेर, (कासं)। स्वाधीनता दिवस-2024 को समारोह पूर्वक मनाने के लिए इस वर्ष हर घर तिरंगा महोत्सव का आयोजन 10 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए जिला कलैक्टर डॉ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में गुरूवार को बैठक का आयोजन किया गया।

जिला कलैक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने कहा कि स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति के भावों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस वर्ष हर घर तिरंगा महोत्सव के कार्यक्रमों को विस्तारित करते हुए शनिवार 10 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शनिवार 10 अगस्त को जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रातः 11 बजे हर घर तिरंगा शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह 6 बजे बजरंगगढ़ चौराहे से रीजनल कॉलेज चौपाटी तक मैराथन का आयोजन किया जाएगा।

सचेत रहने पर ही लगाई जा सकती है साइबर क्राइम पर रोक: एसपी विश्नोई

अजमेर, (कासं)। बढ़ते साइबर क्राइम के प्रति बच्चों में जागरुकता लाने व सुरक्षा के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने सावन सीनियर सैकंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का पाठ पढ़ाया और मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करने की सीख दी।

जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र विश्नोई ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के लिए सलाह दी। उन्होंने सोशल मीडिया के लाभ के साथ-साथ हानि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाला युग वर्तमान से भी ज्यादा एडवांस होगा। ऐसे में सचेत रहने से ही क्राइम पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम से होने वाली ठगी से बचने के लिए सचेत रहने और अपने विवेक पर विश्वास कर सोशल मीडिया का उपयोग करने पर जोर दिया। इस मौके पर संस्था निदेशक हरीश कुमार शर्मा ने एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन शुभ्रा माथुर ने किया।

वही दूसरी ओर बड़लिया स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 अगस्त को साइबर क्राइम अवेयरनेस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता अजमेर जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार थे। उन्होंने छात्रों को साइबर क्राइम से बचने के तरीको के बारे में बताया। उन्होंने ने छात्रों से साइबर क्राइम के रियल केसेस के बारे में भी चर्चा की और बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अत्यधिक प्रयोग से भी बचाना चाहिए। कार्यशाला में समाज सेवक प्रकाश चंद जैन ने भी साइबर क्राइम से बचने के तरीको पर भी प्रकाश डाला।

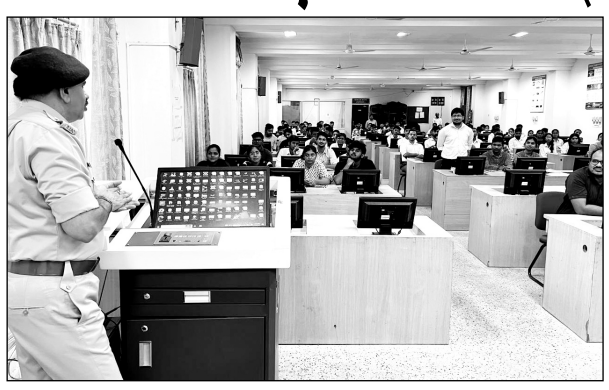

स्कूली बच्चों से संवाद करते हुए एसपी विश्नोई।

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक - न.प.कि/भू-उपयोग परिवर्तन/2024/193 **आम सूचना** दिनांक : 8.8.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में निम्न खसरा नम्बर 583/1/1 भूखण्ड संख्या 01 - ए का कुल क्षेत्रफल 67.10 वर्गगज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण विचाराधीन है। अतः निम्न खसरा नम्बर के भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपतियां / कारण / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें ।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एंव खसरा नम्बर	क्षेत्रफल रकबा /	प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	1. आवेदक महावीर प्रसाद सोमानी पुत्र श्री भंवर लाल सोमानी, श्रीमती सरोज मालू पत्नी श्री दिनेक चन्द्र मालू निवासी विनायक नगर कॉलोनी, क्रिस्टल पार्क के पास लिंक रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान	मदनगंज के खसरा नं. 583/1/1	भूखण्ड संख्या 01-ए का कुल क्षेत्रफल 67.10 वर्गगज	आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांकः न.नि.अ./24-25/भवन/338 **आपत्ति सूचना** दिनांकः 26/7/2024

श्री विक्रम सोनी पुत्र स्व. श्री नृसिंह सोनी निवासी 10/282 देव नारायण मंदिर के सामने क्रिश्चियनगंज वैशाली नगर अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति 19 / 67 पुराना 1/71 नया अंकित है, जो वाके महावीर सर्किल गंज अजमेर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 75.59 व.मी. है। भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।

पूर्व - रास्ता आम दौलत बाग से देहली गेट को जाने वाला पश्चिम- जायदाद श्री राजू अजमेरा की

उत्तर - जायदाद श्री राजकुमार व दिलीप काला की दक्षिण - जायदाद श्री किशनगोपाल बीजावत की

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.बि/निर्माण स्वी./2024/2169 **आम सूचना** दिनांक : 6.8.2024

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण				
फाइल नं.	आवेदनकर्ता का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
61	सुमन बाकोलिया पत्नी गजराज रेगर	इन्दिरानगर बिजयनगर ब्लॉक नं. सी प्लाट 57 का पूर्वी दिशा का हिस्सा प्रा.नं 57-ए	92.90 SQ.MTR	आवासीय
62	सरोज तिवारी पत्नी शिव कुमार तिवारी	शास्त्रीनगर पावर हाउस के पास बिजयनगर ब्लॉक नं. 173 प्लाट नं. 83	111.48 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर

तीज महोत्सव का हुआ आयोजन

अजमेर, (कासं)। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय में तीज महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक महिला कर्मचारियों के लिए रखा गया, जिसकी थीम पारंपरिक परिधान लहरिया साड़ी रही।

महिला कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं व खेल खेलें जिसमें मुख्य रूप से बेनि किवज़, तंबोली व अटारी का आयोजन किया गया ताकि महिलाओं के व्यक्तित्व में और निखार आ सके, समूह भावना को भी बल मिल सके। प्राचार्य द्वारा कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एक मंशा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी रहा। महाविद्यालय में नवनियुक्त प्रथम महिला प्राचार्य प्रोफेसर प्रकृति त्रिवेदी ने दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद प्राचार्य ने महाविद्यालय की महिला कर्मचारियों को संबोधित किया, जिसमें महिलाओं की वर्तमान स्थिति व समाज, महाविद्यालय में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इसके अलावा महाविद्यालय में चल रही छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के बारे में भी बताया।

एडीए की बोर्ड बैठक सम्पन्न, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनी सहमति

अजमेर, (कासं)। अजमेर विकास प्राधिकरण की 28वीं बैठक गुरुवार को जवाहर रंगमंच पर संपन्न हुई। इस बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अजमेर विकास प्राधिकरण की नौसर स्थित भूमि को जिस पर प्राइवेट बस स्टैंड का निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है कि अतिरिक्त भूमि पर नगर निगम द्वारा पीएमई बस सेवा के अंतर्गत डिपो के लिए भूमि आवंटित करने की मांग नगर निगम द्वारा की गई जिसे पारित किया गया। न्यायिक अधिकारियों ने राजकीय आवास के लिए थोकमालियान के खसरा संख्या 2819, 2820, 2821 एवं खसरा संख्या 2822 की भूमिका निशुल्क आवंटन चाहा गया जिसे पारित किया गया।

रावत नगर बोराज में खसरा नंबर 1097 व 1098 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उच्च जलाशय निर्माण के लिए निशुल्क भूमि का आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। चाचियावास में 33/11 केवी सब स्टेशन के लिए खसरा संख्या 3036/614 में भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया व ग्राम लोहागल में 30 एमएलडी जलाशय के लिए भूमि आवंटन में कोटडा में भी 30 एमएलडी जलाशय के लिए भूमिका आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया है जो पृथ्वीराज नगर में भी 20 एमएलडी जलाशय निर्माण के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया है वही साइंस पार्क साइंस पार्क के लिए अतिरिक्त 2540 वर्ग मीटर आवंटन किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

वही हरीभाऊ उपाध्याय नगर कोटडा में पुलिस थाने के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं को आज नगर निगम को स्थानांतरण करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

मालूम हो कि इस बारे में नगर निगम द्वारा अनेक बार अजमेर विकास प्राधिकरण को अवगत कराया गया। एडीए द्वारा इस बारे में सुनवाई नहीं करने पर मेयर ब्रजलता हाडा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग रखी थी, नगर निगम अजमेर को ऑडिटोरियम बनाने के लिए राजस्व ग्राम लोहागल के खसरा नंबर 1050 में 13000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्व ग्राम कोटडा में राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय के लिए लगभग 6500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।

इस तरह दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में खसरा संख्या 9536/6 मे नवसृजित पुलिस थाने के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस तरह लोहागल में 500 भूखंडों की आवासीय योजना पृथ्वीराज नगर योजना में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ व किशनगढ़ के तोलामाला में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही एडीए के आयव्यय के बजट का अनुमोदन भी किया गया। बोर्ड बैठक में एडीए अध्यक्ष डॉ भारती दीक्षित, आयुक्त नित्या के सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अजमेर विकास प्राधिकरण की 28वीं बैठक गुरुवार को जवाहर रंगमंच पर संपन्न हुई।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक - नियमन/2024-25/320 **लोक सूचना** दिनांक : 8.8.2024

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

1. आवेदक का नाम 1. आशादेवी पत्नि जंवरीलाल हिस्सा- 1/28 जाति तेली सा. भोजपुरा खातेदार, 2. कमलादेवी मंगरोला पत्नि रामनिवास मंगरोला हिस्सा- 65/168 जाति- तेली निवासी तेलियान चोपड़, बिछड़ली गुजरान मोहल्ला, ब्यावर खातेदार, 3. कैलाशचन्द्र पुत्र हापूलाल हिस्सा- 1/28 जाति- तेली सा. चांगगेट ब्यावर खातेदार 4. ताराचन्द पुत्र गोपाल हिस्सा 1/8 जाति तेली सा. बिचडली मौहल्ला नवगृह मन्दिर के पास ब्यावर खातेदार, 5. दीपम मंगरोला पुत्र प्रकाशचन्द मंगरोला हिस्सा-1/4 जाति- तेली निवासी जवाहर भवन के पास, आसरवा कॉलोनी, ब्यावर खातेदार, 6. बाबुलाल जांगिड़ पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/12 जाति जांगिड निवासी 249, मोतीनगर सेंदडा रोड़, ब्यावर खातेदार, 7. महेन्द्र कुमार जैन पुत्र बुधराज जैन हिस्सा- 1/12 जाति- जैन निवासी धोबी गली, शाहपुरा मोहल्ला, ब्यावर खातेदार, ग्राम नरबदखेडा, खसरा नं. 1819/909, क्षेत्रफल हैक्टेयर में 0.1153 हैक्टेयर

2. आवेदक का नाम 1. कमलादेवी मंगरोला पत्नि रामनिवास मंगरोला हिस्सा- 19/56 जाति- तेली निवासी तेलियान चोपड़, बिछड़ली गुजरान मोहल्ला, ब्यावर खातेदार, 2. ताराचन्द पुत्र गोपाल हिस्सा 1/8 जाति- तेली सा. बिचड़ली मौहल्ला नवगृह मन्दिर के पास ब्यावर खातेदार, 3. दीपम मंगरोला पुत्र प्रकाशचन्द मंगरोला हिस्सा- 1/4 जाति- तेली निवासी जवाहर भवन के पास, आसरवा कॉलोनी, ब्यावर खातेदार, 4. बाबुलाल जांगिड़ पुत्र मंगलाराम हिस्सा- 5/42 जाति- जांगिड निवासी 249, मोतीनगर सेंदड़ा रोड़, ब्यावर खातेदार, 5. महेन्द्र कुमार जैन पुत्र बुधराज जैन हिस्सा- 1/12 जाति- जैन निवासी धोबी गली, शाहपुरा मोहल्ला, ब्यावर खातेदार, 6. रामनिवास मंगरोला पुत्र माधोलाल हिस्सा 1/12 जाति- तेली निवासी तेलियान चोपड़, बिचडली मोहल्ला, ब्यावर खातेदार ग्राम नरबदखेडा, खसरा नं. 910, क्षेत्रफल हैक्टेयर में 0.0728 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधिन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्वनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा । यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 08/08/24 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी नगर परिषद ब्यावर

अजमेर मे छाया 'गुजरात हस्तशिल्प उत्सव'

अजमेर, (कासं)। राजस्थान मे गुजरात हस्तशिल्प उत्सव, 2 से 11 अगस्त, 2024 तक गुजरात के शिल्पकारो की कलाकृति का प्रदर्शन-एवं-बीक्री का आयोजन कीया गया है। यह उत्सव का उद्घाटन अर्बनहाट अजमेर मे 2अगस्त, 2024 को किया गया। यह अवसर पर अजमेर जिल्ला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के अधिकारी एवं इन्डेक्ष्ट-सी-गुजरात के अधिकारी उपस्थित रहे। गुजरात राज्य के उद्योग और खनन विभाग के कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री तहत इंडस्ट्रियल एक्स टेंशनकॉटेज (इन्डेक्ष्ट-सी) कार्यरत है।

इन्डेक्ष्ट-सी का मूलभुत उद्देश्य शिल्पकारों की आजीविका को बढ़ावा देना और ग्रामोद्योग की वंशानुगत कला को जीवित रखते हुए ओर कलाकृतिओ का सर्जन करने वाले शिल्पकारो को गुजरात राज्य के विभिन्न शहर एवं देश के विभिन्न राज्यों में प्रत्यक्ष विपणन मंच (मार्केटिंग प्लेटफॉर्म) मुहैया करना है। सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा मे एक कदम के रूप मे हस्तशिल्प के क्षेत्र से जूडे हुए कला-शिल्पकारो के व्यवसाय-रोजगार मे तेजी लाके शिल्पकारो को आत्मनिर्भरता हासिल करने और आजिवीका के स्तर में बढोतरी के शुभ इरादे के साथ ये उत्सव का आयोजन कीया गया है। इन्डेक्ष्ट-सी द्वारा2 से 11 अगस्त, 2024तक अर्बन हाट अजमेर, वैशालीनगर मे गुजरात हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कीया गया है। ये उत्सव मे प्रवेश और पार्किंग निःशुल्क है।

उत्सव का आयोजन प्रवीण सोलंकी आईएएस, चेरमेन, इन्डेक्ष्ट-सी एव सेक्रेटरी एव कमिशनर, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री, गुजरात सरकार के दिशा-निर्देश से कीया गया है। अजमेर की कलाप्रिय जनता को गुजरात के शिल्पकारो की सराहना करने और हस्तशिल्प की चीजें शिल्पकारो से सीधे खरीदने अर्बन हाट अजमेर, वैशालीनगर, अजमेर, राजस्थान मे आयोजीत 'गुजरात हस्तशिल्प उत्सव'में शामेल के लिए इन्डेक्ष्ट-सी के एज्युकीटीव डायरेक्टर एन. डी. परमार जीएएस ने अनुरोध किया है।

भव्य कावड़ यात्रा 11 अगस्त को

भीलवाड़ा, (निसं.)। श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान, भीलवाड़ा की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी वर्षों की कामना को लेकर एक भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन दिनांक 11/08/2023, रविवार को प्रातः 7.30 बजे किया जायेगा।

प्रचार मंत्री कृष्णगोपाल शर्मा ने बताया कि उक्त कावड़ यात्रा पीपलेश्वर महादेव मंदिर सूचना केन्द्र के पीछे से प्रातः 7.30 बजे प्रारम्भ होकर आजाद चौक, सत्यनारायण मंदिर, रेल्वे स्टेशन, सरकारी दरवाजा, गोल प्याऊ चौराहा, बालाजी मार्केट, सूचना केन्द्र होते हुए राजीव गांधी मार्केट से सिटी कोतवाली, गर्ल्स कॉलेज होते हुए बड़ला चौराहा से श्याम मन्दिर व दादीधाम होते हुए हरणी महादेव मंदिर पहुंचेगी। संयोजक श्रवण शर्मा, राजू शर्मा, प्रेम बंजारा ने बताया कि कावड़ यात्रा की सभी तैयारीयां जोरों पर है। कावड़िये 151 कावड़ व महिलायें 51 कलश लेकर हरणी महादेव पहुंच कर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान महेश का अभिषेक करेंगे। कावड़ यात्रा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु राजेन्द्रप्रसाद मून्दड़ा, धनराज जाज आदि तैयारीयों में लगे हुए हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031, फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV-ए

(नियम 8 (6) 9 व (1) का प्रावधान देखें)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से कालम (ii) के अनुसार ऋण ग्रहिता(ओ) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) को सूचित किया जाता है कि कालम (iii) के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है, तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो पहले आईडीएफसी बैंक लि. के नाम से जाना जाता था, के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री को "जहाँ है जैसी है", "जो